



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत प्रार्थनापत्र संख्या – 2635/2026

विपिन यादव एवं 3 अन्य

...प्रार्थी (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव गृह, लखनऊ एवं 3 अन्य

... विरोधी पक्षकार (गण)

प्रार्थी (गण) के अधिवक्ता: – अजय प्रताप सिंह, शैलेश त्रिपाठी

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता :- शासकीय अधिवक्ता, नरेश कुमार पाठक

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. नरेश कुमार पाठक, अधिवक्ता द्वारा विरोधी पक्षकार संख्या 2 की ओर से दाखिल वकालतनामा अभिलेख पर ग्रहण किया जाता है।
2. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री विजेंद्र प्रताप सिंह और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
3. इस प्रार्थनापत्र द्वारा, प्रार्थीगण ने दिनांक 04.10.2025 के समझौते के आलोक में विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्यायालय संख्या 45 बाराबंकी की न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 519/2022, अपराध संख्या 243/2021 (राज्य बनाम विपिन यादव एवं अन्य) अंतर्गत धारा 363/366/376/504/506 भारतीय दंड संहिता और 3/4 पॉक्सो अधिनियम, जो थाना-जहाँगीराबाद, जिला-बाराबंकी में दर्ज है, को रद्द करने की प्रार्थना की है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि कुछ गलतफहमी के कारण यह प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी और तत्पश्चात पक्षकारों ने एक साथ बैठकर समझौता विलेख निष्पादित कर अपने विवादों को सुलझा लिया है और उसे दिनांक 04.10.2025 को लिखित रूप में तैयार किया गया था। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि प्रार्थी संख्या 1 और पीड़िता ने विवाह कर लिया है और दिनांक 25.02.2026 को उसका पंजीकरण करा लिया है। उनके विवाह का प्रमाण पत्र इस प्रार्थनापत्र के साथ अनुलग्नक संख्या 8 के रूप में संलग्न है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि उनके विवाह से एक बच्चे का जन्म भी हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय को इस निर्देश हेतु यह प्रार्थनापत्र दायर किया कि वह समझौते के विलेख का सत्यापन करें और दिनांक 17.11.2025 के आदेश के अनुपालन में सत्यापन किया गया और इस न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। उनका यह तर्क है कि इस मामले में आगे की आपराधिक कार्यवाही उत्पीड़न के समान होगी और इसलिए प्रश्रुत आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जा सकता है।

5. दूसरी ओर, विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने भी प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्क का समर्थन किया है और यह प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों ने अपने विवाद का सौहार्द्रपूर्ण रूप से निपटारा कर लिया है और पक्षकार संख्या 2 को कोई शिकायत नहीं है, अतः प्रार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

6. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान शासकीय अधिवक्ता को उपर्युक्त तर्कों पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के उक्त तर्कों पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि पक्षकारों के बीच दिनांक 04.10.2025 को समझौता किया गया है और उक्त समझौते को दिनांक 02.12.2025 को सत्यापित किया गया है और, अब पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के कथनानुसार, वे उपर्युक्त आपराधिक वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहते हैं।

8. उपरोक्त के दृष्टिगत, चूंकि प्रार्थीगण और विरोधी पक्षकारगण ने दिनांक 04.11.2025 को समझौता कर लिया है और कोई शिकायत शेष नहीं है, अतः उक्त आपराधिक वाद में अग्रिम दायित्व कार्यवाही उच्चतम न्यायालय द्वारा बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2003) 4 एससीसी 675, निखिल मर्चेट बनाम

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो [2008] 9 एससीसी 677], मनोज शर्मा बनाम राज्य एवं अन्य (2008) 16 एससीसी अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

1, ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य (2012) 10 एससीसी 303 और नरिंदर सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य (2014) 6 एससीसी 466 में घोषित निर्णयों के आलोक में रद्द किए जाने योग्य है।

9. तदनुसार, विद्वान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) न्यायालय संख्या 45 बाराबंकी की न्यायालय में लंबित सत्र परीक्षण संख्या 519/2022, अपराध संख्या 243/2021 (राज्य बनाम विपिन यादव एवं अन्य) अंतर्गत धारा 363/366/376/504/506 भारतीय दंड संहिता और 3/4 पॉक्सो अधिनियम- थाना-जहाँगीराबाद, जिला-बाराबंकी की आपराधिक कार्यवाही एतद्द्वारा दर्ज की जाती है।

10. समझौता इस आदेश का भाग होगा।

11. तदनुसार प्रार्थनापत्र को अनुमति दी जाती है।

12. अभिलेखागार में रखा जाए।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 मार्च 2026

एकेएस